"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 653] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2021 — पौष 6, शक 1943

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2021

क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42, 61, 86 सहपठित धारा 181 के अधीन विहित शक्तियों तथा इस निमित्त उसे सशक्त करने वाली सभी अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग), एतद्द्वारा, राज्य में विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ हेतु विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों मे कतिपय संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–**

1.1 इन विनियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **विनियम 8 के उप विनियम 8.1 का प्रतिस्थापनः–**

मूल विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम 8.1 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को प्रतिस्थापित किया जावेः–

8.1 ग्रिड के साथ इंटरकनेक्शन के लिए वोल्टेज स्तर वह वोल्टेज स्तर होगा जिस पर उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त कर रहा है।

परंतु नेट मिटरिंग फ्रेमवर्क के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजना को निष्पादित करने वाले एचटी उपभोक्ता अपने एलटी बस बार में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को जोड़ सकते है। मीटरिंग एचटी लेवल बस बार में उसी वोल्टेज पर की जाएगी जिस पर उपभोक्ता वर्तमान में वितरण लाइसेंसधारी के साथ जुड़ा हुआ है।

3. **विनियम 8 के उप विनियम 8.2 का प्रतिस्थापनः–**

मूल विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम 8.2 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

8.2 अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतरसंयोजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी (विकेन्द्रित उत्पादन स्त्रोतों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार होगा।

4. विनियम 8 के उप विनियम 8.3 का प्रतिस्थापनः–

मूल विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम 8.3 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

8.3 अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतरसंयोजन की पुष्टि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी (सुरक्षा एवं विद्युत प्रदाय संबंधी मानदण्ड) विनियम, 2010 के सुसंगत प्रावधानों एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार की जायेगी।

5. विनियम 9 उप विनियम 9.4 में परंतुक को सम्मिलित करना :–

मूल विनियम के विनियम 9 के उप विनियम 9.4 के निम्नलिखित प्रावधान शामिल किये जाएंगेः–

9.4 परंतु यदि अभियोक्ता द्वारा मीटर खरीदे जाते है और यदि वह राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त वैध मीटर परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो इसे वितरण लाइसेंसधारी से मीटर परीक्षण करवाने की आवश्यकता नही होगी।

6. मूल विनियमों के विनियम 10.1 के उप विनियम (ग) के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापन :–

मूल विनियम के विनियम 10.1 के उप विनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

परंतु यह कि प्रोज्युमर ग्रिड के एक ही अंतःक्षेपण बिन्दु (इंजेक्शन प्वाईंट) का उपयोग कर दो या अधिक प्रणाली स्थापित करने का पात्र होगा।

7. विनियम 10.2 के उपनियम (क) के लिए नए उप विनियम का प्रतिस्थापनः–

मूल विनियम के विनियम 10.2 के उप विनियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जायेगा

(क) पीडीआरईएस की क्षमता प्रोज्युमर के स्वीकृत भार/संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं होगी। परन्तु यह कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत स्थापित किये जाने की जा सकने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अधिकतम आकार 500 किलोवाट होगा।

परंतु यह कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किये जाने योग्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार 1 कि.वा. का होगा।

8. विनियम 16 के उपनियम (viii) के लिए नए उप विनियम का प्रतिस्थापनः–

मूल विनियम के विनियम 16 के उप विनियम (viii) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

किलोवाट घंटा (kWh)/kVAh में मापी गई अंतःक्षेपित बिजली का उपयोग केवल वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति किए गए kWh/kVAh को ऑफसेट करने के लिए किया जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए किसी अन्य शुल्क और शुल्क की भरपाई के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

9. मूल विनियमों के नए उपनियम 18.1 का प्रतिस्थापनः–

मूल विनियम के विनियम 18.1 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जायेंगेः–

पात्रता

कोई भी व्यक्ति, पहले आओ–पहले पाओं के आधार पर स्वतंत्र विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (आईडीआरईएस) स्थापित करने और उसे अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से अंतरसंयोजित करने का पात्र होगा।

परंतु ऐसा आईडीआरईएस, सीईए (संवितरित उत्पादन स्त्रोतों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप हो।

10. विनियम 18.2 के उपविनियम (क) **के लिए प्रथम परंतुक का प्रतिस्थापनः—**

उप विनियम के प्रथम परंतुक के लिए मूल विनियम (क) के विनियम 18.2 के निम्नलिखित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार 500 कि.वा. का होगा। इसके अलावा दूर स्थित वितरित अक्षय ऊर्जा प्रणाली, जिसे अपने अपने केप्टिव लोड के लिए ऊर्जा के व्हीलिंग या पारेषण की आवश्यकता हो अथवा ओपन एक्सेस अपभोक्ता द्वारा इस व्यवस्था के अधीन स्थापित की जा सकने वाली प्रणाली का न्यनतम आकार उसके संविदाभार अथवा ओपन एक्सेस हेतु वांछित ऊर्जा की मात्रा जैसा भी मामला हो, के ढ़ाई गुना (2.5) तक हो सकेगा।

11. विनियम 18.2 के उपविनियम (ख) **के लिए दूसरे प्रावधान का प्रतिस्थापनः—**

उप विनियम के दूसरे प्रावधान के लिए मूल विनियम (ख) के विनियम 18.2 के निम्नलिखित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

(ख) परंतु यह कि ऐसे आईडीआरईएस संयंत्र जो प्रोज्युमर के परिसर में हैं (लोड के स्थान पर सहस्थापित संयंत्र), ग्रिड में ऊर्जा का प्रवाह किसी भी समय (टाईम ब्लॉक) में संयोजित मांग/भार से अधिक नहीं होना चाहिये।

12. मूल विनियमों के विनियम 20.1 के लिए नए विनियम का प्रतिस्थापनः—

मूल विनियमों के विनियम 20.1 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

किसी आईडीआरईएस के मामले में अंतर संयोजन बिन्दु से तात्पर्य, अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के उपकेन्द्र या स्वीचयार्ड सहित उस बिन्दु से होगा जिसमें किसी आईडीआरईएस और अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के मध्य अंतर संयोजन स्थापित किया जाए और जहॉ अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली में अंतःक्षेपित विद्युत को स्पष्ट रूप से मापा जा सकता हो।

परंतु यह कि अंतराफलक बिन्दु, सीईए (मीटरों का व्यवस्थापन और संचालन), विनियम, 2006 और उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों के अनुसार होगा।

13. मूल विनियमों के विनियम 21 के लिए नए विनियम का प्रतिस्थापनः—

मूल विनियम के विनियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

21. ऊर्जा की बैंकिग एवं व्हीलिंग

21.1 सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सतत् प्रवाह की श्रेणी प्रदान की जायेगी अर्थात् सौर ऊर्जा परियोजनाओं से अंतःक्षेपित समस्त ऊर्जा को पूर्व निर्धारित माना जायेगा।

21.2 ऊर्जा बैंकिग की सुविधा परियोजना के उपयोगी जीवन काल के लिए उपलब्ध होगा।

21.3 समस्त केप्टिव एवं सुगम्यता के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन में से आंतरिक ऑक्सीलरी खपत कर नेटिंग के पश्चात् शेष संपूर्ण ऊर्जा के लिए बैंकिंग अनुज्ञात की जायेगी।

21.4 बैंकिग प्रभार के रूप में संचित (बैंक में रखी गई) ऊर्जा की 2 प्रतिशत ऊर्जा प्रतिमाह देय होगी। बैंकिंग वर्ष, अप्रैल से मार्च तक होगा।

21.5 संचित ऊर्जा के सामान्य समय (प्रातः 5 बजे से सायं 6 बजे तक अथवा तत्समय लागू टैरिफ आर्डर में जैसा विनिर्दिष्ट हो) एवं मांग के ऑफपीक (ऑफ पीक ऑवर्स में) समय में (रात्री 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक) उपयोग में लाने पर कोई निकासी चार्ज नही लिया जायेगा। मांग के चरम समय (पीक ऑवर्स) (सायं 6 बजे से रात्री 11 बजे तक) में 30% ऊर्जा निकासी चार्ज के रूप में ली जाएगी।

तथापि, उत्पादक/केप्टिव उपभोक्ता/सुगम्यता उपभोक्ता के लिये संचित ऊर्जा के मोचन की मात्रा किसी माह के वास्तविक समय में किये जाने वाले विक्रय/उपभोग तक सीमित होगी।

21.6 केप्टिव उपयोग/तृतीय पक्ष विक्रय हेतु, संयोजन की तारीख से सुगम्यता (ओपन एक्सेस) अनुमोदन की तिथि तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा को संचित ऊर्जा के रूप में मान्य किया जायेगा। इस प्रावधान के प्रयोजन हेतु संयोजन की तारीख को व्यावसायिक संचालन की तारीख (सीओडी) माना जायेगा।

21.7 वह संचित ऊर्जा/अतिशेष ऊर्जा जिसका उपयोग न किया गया हो, यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष के अंत में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस न्यूनतम छतोपरि सौर टैरिफ पर क्रय की जायेगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अनुज्ञात की गई हो। यदि ऐसा कोई टैरिफ उपलब्ध न हो तो एस.ई.सी.आई. द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा अनुज्ञात न्यूनतम टैरिफ को इस हेतु न्यूनतम छतोपरि सौर टैरिफ के रूप में मान्य किया जायेगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय हेतु, सिंक्रोनाईजेशन की तारीख से व्यवसायिक संचालन की तारीख (सी.ओ.डी.) तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के प्रथम वर्ष के टैरिफ पर क्रय की जायेगी, जैसा कि उसके साथ हुए विद्युत क्रय अनुबंध में प्रावधान हो।

21.8 सुगम्यता के लिए किसी आई.डी.आर.ई.एस. से उसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के दौरान, क्रॉस सब्सीडी सरचार्ज एवं एस.एल.डी.सी. प्रभार नही लिया जावेगा।

ये सुविधाये उन सभी आई.डी.आर.ई.एस. परियोजनाओं को उपलब्ध करायी जायेंगी, जिनकी सी.ओ.डी. मूल विनियमों के अधिसूचना के पश्चात् हो, परंतु इसप्रकार स्थापित होने वाली परियोजनाओं की सकल क्षमता 500 मे.वा. होने तक हो जावे अथवा इन संशोधनों के अधिसूचन से दो वर्ष के भीतर परियोजना की सी.ओ.डी. हो जावें।

21.9 पारेषण और व्हीलिंग प्रभार परियोजना के संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल तक नही लिया जावेगा।

21.10 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन बनाये गये किसी विनियम में कोई प्रावधान होने के बाद भी सभी आई.डी.आर.ई.एस. परियोजनाओं का वाणिज्यिक उद्देश्य से अधिसूचन (शेड्यूलिंग) और विचलन समाभाव के दायरे में नही आयेंगी।

14. विनियम 22.1 के उपनियम (घ) के लिए नए उपनियम का प्रतिस्थापनः–

मूल विनियमों के विनियम 22.1 के उप विनियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

वितरण प्रणाली पर डीआरई प्रणाली के प्रवेश के प्रभाव का आंकलन करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी और तकनीकी अध्ययन करेगा और इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा।

15. विनियम 22.1 के उपनियम (ड) के लिए नए उपनियम का प्रतिस्थापनः—

मूल विनियमों के विनियम 22.1 के उप विनियम (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्ः—

भंडारण प्रणाली के विभिन्न प्रकारों के वितरण प्रणाली पर प्रभाव का आंकलन करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अधिसूचन से छः माह के भीतर तकनीकी अध्ययन करेगा और इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा।

16. विनियम 22.1 के उपनियम (छ) के लिए नए उपनियम का प्रतिस्थापनः—

मूल विनियमों के विनियम 22.1 के उप विनियम (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्ः—

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु समुचित उपक्रम द्वारा संचालित व्यापार प्रतिमानो जैसे मांग एकत्रीकरण, अन्य पक्ष स्वामी, ईपीसी अन्य राज्यों के उत्तम कार्यो आदि का अन्वेषण करेगा।

इसके अतिरिक्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे टी.ओ.डी. टैरिफ के प्रस्ताव का अन्वेषण करेगा, जिससे प्रोज्युमर संचित सौर ऊर्जा का स्वयं के उपयोग हेतु भंडारण करे अथवा खपत की अधिकता के समय ग्रिड में डाले।

17. विनियम 23.3 के उपनियम (23.3) के लिए नए उपनियम का प्रतिस्थापनः—

मूल विनियमों के विनियम 23 के उप विनियम 23.3 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्ः—

23.3 समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगीः—

(क) राज्य की नोडल एजेंसी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी— सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य ऊर्जा विभाग से प्रतिनिधि;

(ग) राज्य के वितरण उपक्रम के डी.आर.ई. सेल का प्रभारी— सलाहकार समिति का पदेन सचिव तथा संयोजक;

(घ) राज्य के नोडल एजेंसी (एसएनए) से प्रतिनिधि;

(ड.) विद्युत निरीक्षक कार्यालय से प्रतिनिधि;

(च) विभिन्न शासकीय विभागों से दो स्वतंत्र बाह्य सदस्य;

(छ) उपभोक्ताओं अथवा घरेलू, व्यवसायिक तथा औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपभोक्ता संगठनों की ओर से तीन प्रतिनिधि;

18. विनियम 30 के लिए दूसरा प्रावधान सम्मिलित करनाः—

मूल विनियमों के विनियम 30 के प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात्ः—

परन्तु यह भी, कि ये विनियम उन संयंत्रों को भी लागू होंगे, जो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं अथवा जिनका मूल विनियमों के अधिसूचन के पश्चात्, आई.डी.आर.ई.एस. के रूप में सी.ओ.डी. हो चुका है।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./–

(सूर्य प्रकाश शुक्ला)
सचिव.